

**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**  
**उर्दू निदेशालय**

का०आ०सं०-उ०नि० 126/2018.....<sup>28</sup>...../ पटना, दिनांक-.....12.2.19.....

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 के उपबंधों के अधीन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा विभागीय स्कीनिंग समिति/प्रोन्नति समिति की दिनांक-17.01.2019 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निदेशालय के निम्नांकित उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू/हिन्दी) को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित पे बैंड+ग्रेड पे में एम०ए०सी०पी० स्कीम के अधीन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० लाभ की तिथि एवं अपुनरीक्षित वेतनमान	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० लाभ की तिथि एवं अपुनरीक्षित/पुनरीक्षित पे बैंड+ग्रेड पे	तृतीय एम०ए०सी०पी०लाभ की तिथि+ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अरुण प्रसाद, उच्चवर्गीय लिपिक (हिन्दी), आन्दर प्रखण्ड, सिवान।	05.02.63	27.06.84	09.08.99 से प्रथम ए०सी०पी० 4500-7000	-	-
2	श्रीमती नूरसबा बानो, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), सोनपुर प्रखण्ड, सारण।	01.07.68	24.04.92	24.04.04 से प्रथम ए०सी०पी० 4500-7000	24.04.12 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200/-	-
3	श्री मो० एकराम अहसन अंसारी, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), तरारी प्रखण्ड, भोजपुर।	03.10.68	21.04.92	21.04.04 से प्रथम ए०सी०पी० 4500-7000	21.04.12 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200/-	-
4	श्रीमती रेशमा बेगम, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), फुलवाशीशरीफ प्रखण्ड, पटना।	10.01.72	20.04.92	-	20.04.12 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200/-	-
5	श्री मंजर एकबाल जाहिदी, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), सदर अनुमण्डल, नवादा।	10.09.68	20.04.92	-	20.04.12 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200/-	-
6	श्री जुलकर नैन, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू) महनार प्रखण्ड, वैशाली।	02.01.68	23.04.92	-	23.04.12 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200/-	-
7	श्री मो० तनवीर आलम, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), परैया प्रखण्ड, गया।	09.10.67	21.04.92	-	21.04.12 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200/-	-
8	श्री विष्णुदेव यादव, (सेवानिवृत्त) उच्चवर्गीय लिपिक (हिन्दी), कहरा, प्रखण्ड, सहरसा।	05.06.58	18.05.84	-	-	18.05.14 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे- 4600/-
9	श्री मो० नईम, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), सहार प्रखण्ड, भोजपुर	01.01.62	15.09.83	-	-	15.09.13 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे- 4600/-
10	श्री जुबेर आलम, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), मांझी प्रखण्ड, सारण।	07.07.61	15.04.86	-	-	15.04.16 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे- 4600/- (अपुनरीक्षित)
11	श्री वसीम परवेज़, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), बलिया प्रखण्ड, बेगूसराय।	07.03.60	02.01.86	-	-	02.01.16 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे- 4600/- (अपुनरीक्षित)
12	श्री मो० जाहिद अहमद, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), शेरघाटी प्रखण्ड, गया।	02.07.64	12.09.83	-	-	12.09.13 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे- 4600/-

13	श्री आफताब इलयास, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), राजपुर प्रखण्ड, बक्सर।	29.01.62	12.09.83	-	-	12.09.13 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे- 4600/-
14	श्रीमती नौशाबा नाज़, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), समाहरणालय, पूर्णियां।	15.12.64	31.05.85	-	-	31.05.15 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे- 4600/-
15	श्री मो० दानिश, (सेवानिवृत्त) उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), दावथ प्रखण्ड, रोहतास।	12.04.57	03.10.83	09.08.99 से प्रथम ए०सी०पी० 4500-7000	03.10.07 से द्वितीय ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200/-	03.10.13 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे- 4600/-
16	श्री जहाँगीर अशरफ़, उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू), दरौदा प्रखण्ड, सिवान।	03.01.59	12.09.83	09.08.99 से प्रथम ए०सी०पी० 4500-7000	12.09.07 से द्वितीय ए०सी०पी० ग्रेड पे-4200/-	12.09.13 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे- 4600/-

- इस वित्तीय उन्नयन के कारण किसी कर्मी के वर्तमान पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण उच्चतर पद की हकदारी का दावा नहीं कर सकेंगे।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सम्बद्ध उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू/हिन्दी) की सेवापुस्त से सेवा-सत्यापन की जाँचकर संतुष्ट होने के पश्चात ही वित्तीय लाभ दिया जाय। यदि सेवा-सत्यापन में त्रुटि रह गयी हो तो उसके निराकरण के बाद ही वित्तीय लाभ दिया जाय।
- वित्त विभाग/अंकेक्षण द्वारा किसी प्रकार का संशोधन किये जाने पर प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उनसे भुगतान की गयी राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जाएगी।
- सेवानिवृत्त कर्मी के संबंध में नियंत्रण पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि यदि उनके विरुद्ध पूर्व से किसी प्रकार का मामला यथा निलम्बन, विभागीय कार्यवाही एवं राशि वसूली का मामला लम्बित हो तो उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही उन्हें ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ का भुगतान किया जाय।
- इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(इम्तियाज़ अहमद करीमी)  
निदेशक।

ज्ञाप सं०-उ०नि० 126/2018...../

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी/उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(इम्तियाज़ अहमद करीमी)  
निदेशक।

ज्ञाप सं०-उ०नि० 126/2018...../

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू/हिन्दी) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- बजट शाखा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/उर्दू निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

ह०/-  
(इम्तियाज़ अहमद करीमी)  
निदेशक।